स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 195, दिनांकः 02—07—2024

दिनांक 28—06—2023 को थाना कोतवाली कन्नौज में घटित डकैती की घटना में वांछित घूमन्तु जनजाति (पारदी) गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त विक्की पारदी अपने 02 अन्य साथियों सहित एसटीएफ से हुई मुठभेड में गिरफ्तार।

दिनांक 28—06—2023 को, थाना कोतवाली कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर में घुसकर कारित की गई डकैती की घटना में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 446/2023 धारा 395/412 भादवि में वांछित घूमन्तु जनजाति पारदी गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी विक्की पारदी सहित 03 अभियुक्तों को एसटीएफ से हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

<u>अभियुक्त का विवरणः—</u>

1— विक्की पारदी पुत्र रूप सिंह निवासी माधौगढ थाना कचनार, जनपद अशोक नगर, मध्यप्रदेश। उम्र लगभग 32 वर्ष ।

2— मनोज उर्फ मनोहर पुत्र रूप सिंह निवासी माधौगढ, थाना कचनार, जिला अशोक नगर, मध्यप्रदेश। उम्र लगभग 35 वर्ष।

3— करन उर्फ बिरोजा पुत्र बडा निवासी बिक्रम बाजार पाकुड, झारखण्ड। उम्र लगभग 30 वर्ष

<u>बरामदगी—</u>

1— 02 अदद तमन्चा 315 बोर ।

2— 03 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर।

3— 01 अदद खोका कारतूस 315 बोर।

4— 01 अदद प्लास ।

5— 01 अदद सब्बल।

6— 01 अदद गुलेल।

7— 02 अदद पहचान पत्र।

8— 2030/— रूपये नगद ।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः—</u>

जसौली अण्डरपास के दाहिनी ओर मण्डी जाने वाले कच्चे रास्ते के पास थाना क्षेत्र कोतवाली कन्नौज। दिनांक 01—07—2024, समय करीब 21:20 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई कानपुर के निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह एव उ0नि0 राहुल परमार द्वारा ऐसे संगठित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियो के विरूद्ध विभिन्न माध्यमो से सूचना संकलित की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उप निरीक्षक राहुल परामर को सूचना प्राप्त हुई कि आज दिनांक 01—07—2024 को रात में कन्नौज में किसी बड़े व्यापारी के यहॉ कुछ लोग डकैती की

घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उ0नि0 राहुल परमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कन्नौज के लिये रवाना हुई। एसटीएफ की टीम कन्नौज पहुच कर मुखबिर से प्राप्त सूचना को विकसित कर कन्नौज की स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचे तो जसौली पुल अण्डर पास के नीचे बैठे व्यक्तियो की तरफ इशारा करते हुए बताया गया कि यही लोग है, जो घटना करने वाले है। इस पर एसटीएफ टीम व स्थानीय पुलिस मुखबिर द्वारा बताये गये लोगो की घेराबन्दी करने की कोशिश की तो तीनों व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे एंव भागते हुए जान से मारने की नियत से एसटीएफ व पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें एसटीएफ व पुलिस टीम के कर्मी बाल–बाल बचे। एसटीएफ व पुलिस टीम द्वारा अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए आवश्यक घेरा बन्दी कर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियो से पूछताछ की गयी तो एक ने अपना नाम विरोजा उर्फ करन पारदी पुत्र श्याम निवासी आईआईटी के पास, थाना सीपरी बाजार, झॉसी बताया। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मनोज उर्फ मनोहर पुत्र रूप सिंह पारदी निवासी माधवगढ, थाना कचनार, जिला अशोक नगर, म0प्र0 बताया, जो दिनांक 28–06–2023 को कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर में हुई डकैती की घटना में शामिल था, वर्तमान में जमानत पर बाहर है। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम विक्की पारदी पुत्र रूप सिंह निवासी माधवगढ थाना कचनार, जिला अशोक नगर, म0प्र0 बताया, जो कन्नौज में घटित डकैती की घटना में वांछित था तथा जिसपर रू0 50,000/– का पुरस्कार भी घोषित है। विक्की और मनोज सगे भाई हैं।

उल्लेखनीय है कि पुरस्कार घोषित अभियुक्त विक्की पारदी मूलरूप से ग्राम माधवगढ थाना कचनार, जिला अशोक नगर, म0प्र का रहने वाला है तथा पारदी गिरोह से सम्बन्धित है। पारदी गिरोह के इस ग्रुप का सरगना सूरज पारदी निवासी सेवडा शिवपुरी है। इस गिरोह के साथ महिलाए व बच्चे भी साथ में होते हैं, जो प्लास्टिक पन्नी आदि से छोटे–छोटे डेरे बनाकर रहते हैं। गुब्बारे खिलौने आदि बेचने का दिखावा करते हुए यह लोग दिन में क्षेत्र की रैकी कर मकान/दुकानो को चिन्हित करते हैं और रात में मकानों/दुकानो की ग्रिल/खिड़की/शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और मकान मालिक के जागजाने या जानकारी हो जाने पर विरोध होने पर हमला करके गृह स्वामियों को घायल कर मरणासन्न भी कर देते हैं। एक स्थान पर वारदात करने के पश्चात दूसरे शहर में चले जाते है। उक्त गिरोह द्वारा रेलवे स्टेशन, नुमाइश मैदान या बाग में अपना ठिकाना बनाया जाता है। वारदात के समय इनके द्वारा किसी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण मोबाइल आदि का प्रयोग नही किया जाता है एवं घटना कारित करते समय इनके द्वारा चेहरे आदि को पूरी तरह ढक लिया जाता है, जिससे सीसीटीवी फुटेज आदि में भी इनकी पहचान करना सम्भव नही हो पाता है। घटना कारित करने उपरान्त विभिन्न माध्यमो से यह लोग स्थान परिवर्तित कर अलग अलग दूर सुदूर दूसरे ठिकाने पर चले जाते हैं। इनके गिरोहो के कई अलग अलग समूह हैं, जो अलग अलग घटनाओ में गिरोह के सदस्य बदलते रहते हैं।

अभियुक्त विक्की पारदी का आपराधिक इतिहास–

क0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**
1	70/2105	323/341/506/34 भादवि थाना शहर रायपुर जिला लुधियाना ग्रामीण पंजाब
2	291/2015	457/380 भादवि थाना लडवा जनपद कुरूक्षेत्र हरियाणा
3	155/2017	27 एनडीपीएस एक्ट थान भिखी विन्ड जिला तरनतारण पंजाब
4	446/2023	395/412 भादिव थाना को0 कन्नौज जनपद कन्नौज

5	549/2024	310(4)/310(5)/109 भारतीय न्याय संहिता

गिरफ्तार अभियुक्तो को थाना कोतवाली, कन्नौज के मु0अ0सं0 549/2024 धारा 310(4)/310(5)/109 भारतीय न्याय संहिता के अभियोग में दाखिल किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस कन्नौज द्वारा की जा रही है।